सराहनीय कार्य

इटावा पुलिस

प्रेस नोट-दिनांक 19.08.2026

- **थाना सैफई पुलिस को मिली बड़ी सफलता।**
- **हाईवे स्थित फूड प्लाजा की पार्किंग में गाड़ी का शीशा तोड़कर जेवरात एवं नगदी चोरी करने वाले 01 अभियुक्त को इटावा पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार।**
- **अभियुक्त के कब्जे से चोरी किये गये नकदी, आभूषण एवं 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जिंदा कारतूस किये गये बरामद।**

अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर एवं पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर परिक्षेत्र, कानपुर के निर्देशन एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री बृजेश कुमार श्रीवास्तव के पर्यवेक्षण एवं अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्री श्रीश चन्द्र के मार्गदर्शन एवं क्षेत्राधिकारी सैफई के नेतृत्व में थाना सैफई पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही।

घटना का संक्षिप्त विवरणः-

वादिनी सारिका सिंह पत्नी अजय कुमार सिंह निवासी फरीदाबाद सेक्टर 48 द्वारा थाना सैफई पर लिखित तहरीरी सूचना दी गयी कि जब वह अपने परिवार के साथ बलिया से फरीदाबाद आ रही थी इसी दौरान आगरा लखनऊ एक्सप्रेस-वे के किमी सं0 104 पर बने प्लाजा पर नाश्ता करने के लिये अपनी गाड़ी रोकी और नाश्ता करने के लिये प्लाजा के अन्दर चले गये जब वापस बाहर आये तो गाड़ी का सीसा टूटा था तथा उसमें से नकदी/जेबरात चोरी हो गये थे। सूचना पर तत्काल **थाना सैफई पर मु0अ0सं0 123/2026 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया।**

गिरफ्तारी का संक्षिप्त विवरणः-

जनपद में अपराध एवं आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम तथा वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री बृजेश कुमार श्रीवास्तव द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में थाना सैफई पुलिस द्वारा रुकईया नहर पुल पर चैकिंग की जा रही थी इसी दौरान आपराधिक अभिसूचना प्राप्त हुयी कि हाइवे 104 फूड प्लाजा पर गाङी का शीशा तोङकर जेवर व नगद रूपये चोरी करने वाला अभियुक्त अवैध असलाह के साथ उसरई पुलिया पर कही जाने की फिराक में खङा है। **सूचना पर तत्काल थाना सैफई पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुये अभियुक्त मनोज कुमार पुत्र जीतेन्द्र बाबू को गिरफ्तार किया गया।**

पुलिस पूछताछः-

पकड़े गये अभियुक्त से नाम पता पूछते हुये उसके कब्जे से 01 तमन्चा एवं 02 जिन्दा कारतूस तथा उसके बैग से नकदी एवं अन्य आभूषण बरामद किये गये। उक्त बरामदगी के सम्बन्ध में कड़ाई से पूछताछ करने पर उसके द्वारा बताया गया कि यह नकदी एवं आभूषण मैंने अपने साथी अरविन्द दुबे उर्फ मोनू पुत्र रामऔतार के साथ मिलकर आगरा लखनऊ एक्सप्रेस-वे पर किमी0 104 फूडप्लाजा की पार्किंग में खडी सफेद रंग की बैगनार कार के पिछले दरवाजे का शीशा तोड कर उसमें रखे दो लेडीज पर्स चोरी कर लिए थे व कुछ आधार कार्ड, पैन कार्ड, आर0सी0 डीएल आदि कागजात थे तथा दो मोबाइल टच स्क्रीन मिले थे दोनो मोबाइलो को बन्द करके हम दोनों ने नदी में फेंक दिया था।

नोटः- पुलिस पूछताछ के आधार पर अभियुक्त अरविन्द दुबे उर्फ मोनू पुत्र रामऔतार निवासी ग्राम अमरसीपुर थाना सैफई इटावा का नाम प्रकाश में आया है जिसकी गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम प्रयासरत है।

उक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना सैफई पर पंजीकृत मु0अ0सं0 123/2026 धारा 303(2) बीएनएस में धारा 317(2) बीएनएस व धारा 3/25 आर्म्स एक्ट की बढ़ोत्तरी की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्तः-

1. मनोज कुमार पुत्र जीतेन्द्र बाबू ग्राम हैवरा थाना सैफई जनपद इटावा उम्र करीब 37 वर्ष।

पंजीकृत अभियोगः-

1. मु0अ0सं0 123/2026 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट में थाना सैफई जनपद इटावा।

आपराधिक इतिहास-

अभियुक्त मनोज कुमार पुत्र जीतेन्द्र बाबू

1. मु0अ0सं0 400/2007 धारा 364 भा0द0वि थाना जसवन्तनगर जनपद इटावा
2. मु0अ0सं0 51/2013 धारा 307 भा0द0वि थाना वैदपुरा जनपद इटावा
3. मु0अ0सं0 76/2013 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट थाना वैदपुरा जनपद इटावा
4. मु0अ0सं0 103/2014 धारा 379 भा0द0वि थाना वकेबर जनपद इटावा
5. मु0अ0सं0 21/2014 धारा 393 भा0द0वि थाना भरथना जनपद इटावा
6. मु0अ0सं0 324/2014 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट थाना भरथना जनपद इटावा
7. मु0अ0सं0 113/2015 धारा 174-A भादवि थाना भरथना जनपद इटावा
8. मु0अ0सं0 333/2015 धारा 392 भादवि थाना जसवंतनगर जनपद इटावा
9. मु0अ0सं0 228/2015 धारा 102/41 सीआरपीसी व 399/402/411/413 भादवि थाना सैफई जनपद इटावा।
10. मु0अ0सं0 146/2017 धारा 354(क)/364 भादवि व 8 पोक्सो एक्ट थाना सैफई जनपद इटावा
11. मु0अ0सं0 54/2019 धारा 380/457 भादवि थाना सैफई जनपद इटावा
12. मु0अ0सं0 56/2019 धारा 364 भादवि व 7/8 पोक्सो एक्ट थाना सैफई जनपद इटावा
13. मु0अ0सं0 25/2023 धारा 323/336 भादवि थाना सैफई जनपद इटावा
14. मु0अ0सं0 241/2023 धारा 323/504/506 भादवि थाना सैफई जनपद इटावा
15. मु0अ0सं0 184/2024 धारा 318(4) भादवि व 66डी आईटी एक्ट थाना सैफई जनपद इटावा
16. मु0अ0सं0 80/2024 धारा 3/5/25 आर्म्स एक्ट थाना सैफई जनपद इटावा
17. मु0अ0सं0 123/2026 धारा 303(2)/317(2)BNS व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सैफई जनपद इटावा

बरामदगीः-(कुल बरामदगी- अनुमानित 14 लाख रूपये)।

1. 01 अवैध तमंचा 315 बोर।
2. 02 जिंदा कारतूस 315 बोर
3. 97,500/- नगद **(घटना कारित कर अर्जित किये गये)**
4. 01 गले की कंठी पीली धातु, लोकिट सहित
5. 01 हाथ का कंगन पीली धातु
6. 02 कान के टॉप्स लटकन सहित, पीली धातु
7. 02 पैरों की पायल सफेद धातु

पुलिस टीमः- निरी0 भूपेन्द्र सिंह राठी प्रभारी निरीक्षक थाना सैफई , उ0नि0 राकेश कुमार, उ0नि0 स्वदेश कुमार, आदित्य तोमर, ,अंजनी कुमार।